



अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-25.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री चिनय कुमार चौधरी,
स०वि०स०
श्री उपेन्द्र प्रसाद, स०वि०स०
श्री मिथिलेश तिवारी,
स०वि०स०
श्री सिद्धार्थ पटेल,
स०वि०स०
श्री राजेश कुमार सिंह,
स०वि०स०
श्री रणधीर कुमार सिंह,
स०वि०स०
श्री राजू तिवारी,
स०वि०स०
श्री शुभानंद मुकेश,
स०वि०स०

“कांवरिया बेगूसराय जिला के सिमरिया धाम से मधुबनी पथ निर्माण जिला के पंडोल में अवस्थित उगना महादेव, भवानीपुर में गंगाजल अर्पित करते हैं। कांवरिया सिमरिया से रोसड़ा, बहेड़ा, बहेड़ी होते हुए भवानीपुर जाते हैं। इसी तरह कहलगाँव एवं वटेश्वर स्थान से घोघा होते हुए बासुकीनाथ, पुनपुन नदी घाट से बैजूधाम प्रखंड-गुरूआ गयाजी के लिए नया कांवर पथ वाया-किंजर, टेकारी, गुरूआ, बैजूधाम (विवाह मंडप निर्माण) तथा सोनपुर से मुजफ्फरपुर गरीबस्थान तक नया कांवर पथ की आवश्यकता है। इन पथों पर वर्तमान में भारी वाहन का आवागमन रहता है। साथ ही पीच सड़क है जिससे हजारों की संख्या में जाने वाले कांवरियों को परेशानी के साथ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

अतः पथ निर्माण विभाग से सुल्तानगंज से देवघर कांवरिया पथ के तर्ज पर विषयांकित पथों के लिए भी अलग से नया कांवर पथ बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्रीमती छोटी कुमारी,
संवि०स०

“बिहार सहित छपरा नगर निगम एवं रिकविलगंज क्षेत्र में बुडको द्वारा संचालित विकास योजनाओं की अत्यंत धीमी प्रगति एवं लापरवाही को ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। बुडको द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची में कई योजनाओं को 10 प्रतिशत प्रगति पर दर्शाया गया है, किन्तु स्थल निरीक्षण के दौरान अनेक स्थानों पर कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाया है, जिससे गंभीर अनियमितता की आशंका उत्पन्न होती है। शिल्पी पोखरा सहित कई परियोजनाओं में अधूरे कार्यों को कागजों पर पूर्ण दर्शाकर राशि का बंदरबाट कर लिया गया है, जबकि धरातल पर कार्य गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप नहीं है। ट्रेनेज सिस्टम का कार्य मात्र 34.46 प्रतिशत प्रगति पर है तथा महत्वपूर्ण खनुआ नाला परियोजना अब भी लंबित है, जिसके कारण क्षेत्र में जलजमाव, गंदगी एवं संक्रामक रोगों का खतरा निरंतर बना हुआ है। अरबों रूपये व्यय होने के बावजूद हल्की वर्षा में पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और नागरिकों को गंभीर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

नगर विकास
एवं आवास

अतः उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों, संवेदकों एवं संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराती हूँ।”

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-16/2026-

112

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-24 फरवरी, 2026 ई०।

ख्याति सिंह

प्रधारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

(रविन्द्र पंडित)

24.2.26

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-16/2026-

112

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-24 फरवरी, 2026 ई०।

24.2.26

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-16/2026-

112

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-24 फरवरी, 2026 ई०।

24.2.26

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-16/2026-

112

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रधारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-24 फरवरी, 2026 ई०।

24.2.26

(रविन्द्र पंडित)

अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

24/02/2026